पत्रांक-स्था0-2-वा0क0अ0-ए0सी0पी0-परिपत्र/2020-21/ 7611 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊः दिनांक 01/2/ ~~जनवरी~~ 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/

अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान/

एडीशनल कमिश्नर (उ0न्या0का0) प्रयागराज/लखनऊ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर,

समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- सेलेक्शन ग्रेड/ प्रोन्नति वेतनमान/ समयमान वेतनमान तथा सुनिश्चित कैरियर स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रत्यावेदनों के अग्रसारण के सम्बंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2768, दिनांक 08-09-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभागीय अधिकारियों के ए0सी0पी0 सम्बंधी प्रकरणों को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत जिन अधिकारियों को ए0सी0पी0 की देयता बनती है, उनके सम्बंध में निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में अनुस्मारक पत्र संख्या- 3276, दिनांक 16-10-2020 भी प्रेषित किया गया, किन्तु कतिपय जोनों से **निर्धारित प्रारूप** में सूचनाएँ अद्यतन अप्राप्त हैं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17-12-2020 को मुख्यालय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर को उपरोक्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उक्त जोनों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचनाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। सूचना उपलब्ध न होने के कारण ए0सी0पी0 के प्रकरणों पर यथोचित कार्यवाही नही करायी जा पा रही है।

अवगत कराना है कि वाणिज्य कर अधिकारियों तथा असिस्टेन्ट कमिश्नर्स के ए0सी0पी0 के प्रकरणों पर भिन्न- भिन्न शासनादेश प्रभावी होते हैं, जिस कारण इनके सेवा विवरण अलग-अलग वांछित है। वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए अधिकारियों के सम्बंध में आगरा, इटावा, कानपुर जोन प्रथम व द्वितीय, गाजियाबाद जोन प्रथम व द्वितीय, गौतमबुद्धनगर, झाँसी, मेरठ व लखनऊ जोन द्वितीय से सूचनाएं अद्यतन अप्राप्त है। साथ ही अवगत कराना है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए अधिकारियों के सम्बंध में मात्र लखनऊ जोन प्रथम, वाराणसी जोन द्वितीय, अयोध्या तथा मुरादाबाद से ही सूचनाएं उपलब्ध करायी गयीं हैं।

उल्लेखनीय है कि आगरा जोन, कानपुर जोन प्रथम व द्वितीय तथा गाजियाबाद जोन द्वितीय से ए0सी0पी0 के सम्बंध में वाणिज्य कर अधिकारियों के कतिपय प्रकरण निर्धारित प्रारूप में न होने के कारण सम्बंधित जोनों को वापस प्रेषित करते हुए परिपत्र संख्या- 2768, दिनांक 08-09-2020 द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्ताव प्रेषित कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त बार-बार निर्देशों के बावजूद भी

मुख्यालय के निर्देशों को गम्भीरता से न लेना, अनुशासनहीनता तथा उदासीनता का द्योतक है। उक्त हेतु पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन जोनों से सूचनाएं शून्य है, वहाँ से भी तद्नुसार सूचना प्रेषित किया जाना आवश्यक है। स्पष्ट करना है कि ए0सी0पी0 के प्रकरणों का सीधे अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुशीलन किया जा रहा है तथा प्रकरणों के विलम्ब से प्रेषित करने के सम्बंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी, जिससे मुख्यालय को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मुख्यालय के परिपत्र संख्या- 2768, दिनांक 08-09-2020 से वाणिज्य कर अधिकारी के सम्बंध में वांछित सूचनाएं आगरा, इटावा, कानपुर जोन प्रथम व द्वितीय, गाजियाबाद जोन प्रथम व द्वितीय, गौतमबुद्धनगर, झाँसी, मेरठ व लखनऊ जोन द्वितीय तथा असिस्टेन्ट कमिश्नर के सम्बंध में वांछित सूचनाएं आगरा, अलीगढ़, इटावा, कानपुर जोन प्रथम व द्वितीय, गाजियाबाद जोन प्रथम व द्वितीय, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर, झाँसी, मेरठ, लखनऊ जोन द्वितीय, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी जोन प्रथम व सहारनपुर द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उक्त सूचनाएं प्रत्येक दशा में दिनांक 15-02-2021 तक उपलब्ध कराने के साथ अभी तक जिन जोनों से वांछित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं, के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके, कृत कार्यवाही की सूचना 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

01-02-21

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।